न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 33/2021

1. अमित सिंह चौहान पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)
2. महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थीगण्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 3070 ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा फैसल द्वारा तहसीलदार पावटा दिनांक 15/4/2021

निर्णय दिनांक 04.8.2021

अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत् नामा.सं. 3070 ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा निर्णय द्वारा तहसीलदार पावटा के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल ख.नं. 825/0.11, 827/0.1990 कुल किता 02 रकबा 0.3090 हैक्टर वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार वली मोहम्मद पुत्र उमदराज जाति लोहार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा थे, जिन्होंने उपरोक्त आराज़ी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से अपीलान्ट संख्या एक को 1/6 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 02 को 1/12 हिस्सा कुल हिस्सा 1/4 अपीलान्टगण् को दिनांक 05/02/2021 को बेचान कर दिया था। उक्त विक्रय–पत्र अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का को दिया । पटवारी हल्का प्रागपुरा ने मुताबिक विक्रय–पत्र नामा.सं. 3070 के द्वारा अपीलान्ट का नाम विक्रेतागण की जगह अंकित किया, परन्तु पटवारी हल्का प्रागपुरा ने नामान्तरकरण दर्ज किये जाते समय वली मोहम्मद पुत्र उमदराज के स्थान पर अपीलान्ट संख्या एक हिस्सा 1/6 व अपीलान्ट संख्या 02 हिस्सा 1/12 के बजाये अपीलान्ट संख्या 01 व 02 का हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के उपरान्त स्वयं के द्वारा उक्त तथ्य अंकन किया गया कि केतागण का हिस्सा विक्रय–पत्र अनुसार अंकित नहीं है। नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। तदउपरान्त उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी उक्त टिप्पणी की गयी तथा तहसीलदार द्वारा उपरोक्त अंकन करते हुए कि केतागण का

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

हिस्सा सही नहीं पाये जाने पर नामान्तरकरण को दिनांक 15/04/2021 को खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22/7/2021 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने पर हुयी, जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष मय दफा–5 जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0सं0 3070 दिनांक 15/4/2021 को पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह है कि अपीलान्ट द्वारा विक्रय–पत्र के मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का को विक्रय–पत्र उपलब्ध कराया गया था। पटवारी हल्का ने विक्रय–पत्र के अनुसार अपीलान्ट का हिस्सा नामान्तरकरण में दर्ज करने की बजाय अपीलान्ट का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया तथा पटवारी हल्का स्वयं द्वारा नामा. में हिस्सा सही नहीं होने की टिप्पणी करते हुए नामा. को खारि करने की अनुघंषा की जबकि पटवारी हल्का को हिस्सा गलत अंकन की जानकारी होने पर उन्हें अपीलान्ट का हिस्सा दुरूस्त कर नामान्तरकरण को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार पावटा द्वारा हिस्सा सही करने की बजाये उपरोक्त नामा. को खारिज करने की भारी भूल की है।

4. यह है कि अपीलान्टगण् पटवारी हल्का को विक्रय–पत्र दिये जाने के उपरान्त कोरोनाकाल में पटवारी हल्का के पास नहीं जा सके इस कारण अपीलान्टगण् को तहसीलदार पावटा द्वारा खारिज नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुयी ना ही अपीलान्ट को उक्त नामा. का निर्णय पारित करते समय सूचित किया अपितु अपीलान्टगण् स्वयं पटवारी हल्का के पास अपने विक्रय–पत्र के नामा. बाबत जानकारी हेतु जाने पर उक्त खारिज बाबत नामान्तरकरण की जानकारी मिली, जिस पर अपीलान्टगण् ने बिना देरी किये पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील जानकारी से मय दफा–5 प्रस्तुत की है।

5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फैसल नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील सुनने एवं तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। अतः अपील अन्दर मियाद एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 3070 ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा फैसल द्वारा तहसीलदार पावटा दिनांक 15/4/2021 को निरस्त कर मुताबकि विक्रय–पत्र अपीलान्टगण् का आराजी हाल ख.नं. 825/0.11 व 827/0.1990 कुल किता 02 रकबा 0.3090 हैक्टर वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा में विकेता वली मोहम्मद पुत्र उमदराज जाति लोहार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा हिस्सा 1/4 के बजाय अपीलान्ट संख्या एक का 1/6 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 02 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

6. अपीलार्थीगण् द्वारा जरिये वकील अपील पेश की है। प्रस्तुत की गयी अपील में रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये । बाद तामील नोटिस प्राप्त होने पर पत्रावली में तल्बी सम्मन नोटिस संलग्न किये गये।

7. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि आराजी ख.नं. 825/0.11 व 827/0.1990 कुल किता 02 रकबा 0.3090 हैक्टर वाके मौजा प्रागपुरा के तहसील पावटा में वली मोहम्मद का 1/4 हिस्सा था। वली मोहम्मद द्वारा उक्त आराजी में अपना हिस्सा 1/4 में से 1/6 हिस्सा अपीलार्थी संख्या एक को तथा 1/12 हिस्सा अपीलार्थी संख्या 02 को जरिये विक्रय–पत्र से दिनांक 05/02/2021 को बेचान कर दिया। अपीलान्ट द्वारा विक्रय–पत्र की प्रति पटवारी हल्का को नामा. खुलवाने हेतु दी. गयी। पटवारी हल्का द्वारा नामा.सं. 3072 दर्ज किया गया। उक्त नामा. दर्ज में पटवारी हल्का द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकन किया कि विक्रय–पत्र से मिलान करने पर हिस्सा सही नहीं होने से खारिज योग्य है। इसी प्रकार भू.अ. निरीक्षक की टिप्पणी में थी। हिस्सों में अन्तर होने से नामा. खारिज योग्य है। तहसीलदार पावटा द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचित किये उक्त नाम.सं. 3070 दिनांक 15/4/2021 को निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार द्वारा निर्णय में हिस्सा सही नहीं होना पाये जाने पर दिनांक 15/4/2021 को नामा. खारिज के आदेश पारित कर दिया गया जबकि तहसीलदार पावटा को निर्णय पारित करते समय इससे पूर्व हिस्सा सही कराया जाना चाहिए था हिस्सा दुरूस्त कराने के उपरान्त ही उक्त निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। वली मोहम्मद पुत्र उमदराज हिस्सा 1/4 जाति लोहर सा. देह खातेदार द्वारा जरिये विक्रय–पत्र से अपीलान्ट संख्या एक को हिस्सा 1/6 व अपीलान्ट संख्या 02 को 1/12 हिस्सा का बेचान किया है जबकि उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज किया है तो नियम विरूद्व हुआ है। इसलिए उक्त नामा.सं. 3070 वाके ग्राम प्रागपुरा खारिज फरमाया जावें तथा मुताबकि विक्रय–पत्र से अपीलार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा तथा अपीलार्थी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

8. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि मुताबिक विक्रय–पत्र से अंपीलार्थीगण का हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल होना चाहिए था । यदि उक्त नामान्तरकरण में मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार हिस्से में अन्तर पाया जाता है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

9. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबतों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि नामा.सं. 3070 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा का आ.ख.नं. 825/0.11, 827/0.1930 कुल किता 02 रकबा 0.3090 हैक्टर बाबत नामान्तरकरण विक्रय–पत्र का भरा गया है। पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट मुताबिक एवं विक्रय–पत्र का हिस्सा में

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अन्तर होना पाया जाने पर तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 15/4/2021 ... खारिज करने के आदेश पारित किये है। उक्त आरजीयात् को वली मोहम्मद पु... उमदराज जाति लोहार सा. देह द्वारा अपना हिस्सा 1/4 को अपीलार्थी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा तथा अपीलार्थी संख्या 02 को 1/12 हिस्सा का जरिये विक्रय–पत्र से बेचान किया है जबकि दर्ज नामान्तरकरण में अपीलार्थी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा तथा अपीलार्थी संख्या 02 का 1/8 दर्ज कर दिया जो मुताबिक विक्रय–पत्र अनुसार सही नहीं है। तहसीलदार पावटा को उक्त नामान्तरकरण संख्या 3070 वाके ग्राम प्रागपुरा में मुताबिक विक्रय–पत्र के अनुसार ही अपीलार्थी संख्या एक व दो का हिस्सा दर्ज करना चाहिए था उसके उपरान्त ही तहसीलदार पावटा को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इससे स्पष्ट है कि नामा.सं. 3070 मुताबिक विक्रय–पत्र अनुसार नहीं भरा गया है। इसलिए उक्त नामा.सं. 3070 फैसल दिनांक 15/4/2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पावटा को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामा.सं. 3070 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा निर्णय दिनांक 15/4/2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार पावटा को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उभय पक्षकारान् को सूचित कर एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर मुताबिक विक्रय–पत्र 05/02/2021 के अनुसार में विधि सम्मत निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही करें।

11. निर्णय आज दिनांक 4.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)